उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-3

अधिसूचना

संख्या-10/2024/590/चौबीस-पी-3-2024-113 विविध/2018

लखनऊ: दिनांक 18 जुलाई ,2024

उत्तर प्रदेश राज्य में लिफ्ट तथा एस्केलेटर और उनसे सम्बन्धित समस्त मशीनरी तथा साधित्रों के निर्माण, संस्थापन, अनुरक्षण और सुरक्षित चालन के रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली, 2024 कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।		
परिभाषाएं	2. (1) इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-		
		(क)	"अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम, 2024 से है;
		(ख)	"अनुलग्नक" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न किसी अनुलग्नक से है;
		(ग)	"ओईएम" का तात्पर्य मूल उपस्कर विनिर्माता से है;
		(घ)	"निरीक्षक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट विद्युत निरीक्षक से है।
	(2)		इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये क्रमश: समनुदेशित हैं।
लिफ्ट या एस्केलेटर परिनिर्मित करने के लिए	3.(1)		किसी भी परिसर में लिफ्ट या एस्केलेटर के संस्थापन हेतु आशयित स्थान के प्रत्येक स्वामी इस नियमावली के अनुलग्नक-एक में यथा उल्लिखित प्रपत्र में, यथा विनिर्दिष्ट पूर्ण विवरण या सूचना देते हुए एक आवेदन करना होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वामी द्वारा रजिस्ट्रीकरण	(2)	यह आवेदन अधिकारिता क्षेत्राधिकार वाले स्थानीय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा।
कमीशनिंग पूर्ण होने पर और लिफ्ट या एस्केलेटर के उपयोग से पूर्व सूचना दिया जाना	4.(1)	स्वामी जो अधिनियम की धारा-3 के अधीन लिफ्ट या एस्केलेटर संस्थापन हेतु रजिस्ट्रीकृत हो, लिफ्ट या एस्केलेटर के प्रयोग से पूर्व, इस नियमावली के अनुलग्नक-2 में यथा उल्लिखित प्रपत्र में कमीशनिंग के पूर्ण होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
	(2)	कमीशनिंग पूर्ण होने की सूचना रिपोर्ट के साथ अधिनियम की धारा-11 के अनुसार किसी संस्थपित अभिकरण से संस्थापन पूर्ण होने का रिपोर्ट भी संलग्न करना होगा। संस्थापन अभिकरण को यह वचन देना होगा कि अधिनियम और नियमावली में उल्लिखित समस्त सुरक्षा सुविधाएँ लिफ्ट या एस्केलेटर में बनाई गई हैं।
	(3)	स्वामी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता इस आशय का एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह लिफ्ट या एस्केलेटर के दैनिक प्रचालन के दौरान अधिनियम और नियमावली के समस्त उपबन्धों का अनुपालन करेगा और आवश्यकता पड़ने पर प्राधिकारियों के साथ सहयोग करेगा।
	(4)	प्रत्येक लिफ्ट या एस्केलेटर के लिए 5,000 रुपये का शुल्क कमीशनिंग पूर्ण किये जाने की सूचना रिपोर्ट के साथ जमा किया जाएगा।
	(5)	यह रिपोर्ट अधिकारिता वाले स्थानीय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, को प्रस्तुत की जाएगी।
नि:शक्त-अनुकूल लिफ्ट	5.	किसी भी सार्वजनिक परिसर में कम से कम एक लिफ्ट अनिवार्य रूप से ऐसी होनी चाहिए जो नि:शक्त अनुकूल हो और इस संबंध में संहिताओं और निर्देशों के अनुरूप हो।
सार्वजनिक परिसरों में लिफ्ट या एस्केलेटर का अनुरक्षण	6(1)	स्वामी को अनिवार्य रूप से ओईएम या उसके प्राधिकृत सेवा प्रदाता से व्यापक एएमसी लेनी होगी। वह प्रत्येक वर्ष अपने लिफ्ट या एस्केलेटर या सार्वजनिक परिसर में कमीशन किए गए लिफ्ट और एस्केलेटर के अनुरक्षण के लिए की गई किसी अन्य व्यवस्था के लिए एएमसी की एक प्रति अधिकारिता वाले स्थानीय सहायक

http://shasanadesh.up.gov.in

		निदेशक, विद्युत सुरक्षा को इस नियमावली के अनुलग्नक-3 में यथा उल्लिखित विहित प्रपत्र पर प्रस्तुत करेगा।
	(2)	आवधिक अनुरक्षण की एक लॉगबुक इस नियमावली के अनुलग्नक-4 में यथा उल्लिखित विहित प्रपत्र पर रखी जाएगी और इसे सार्वजनिक परिसर में स्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर के पास प्रदर्शित किया जाएगा और अधिकारिता वाले स्थानीय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, या अधिकारिता वाले कोई अन्य विद्युत निरीक्षक या स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय उपमंडलीय मजिस्ट्रेट या स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत किया जाय।
	(3)	सार्वजनिक परिसर में लिफ्ट या एस्केलेटर को प्रचालित करने के लिए स्वामी अनिवार्य रूप से प्रचालक नियुक्त करेगा। ड्यूटी पर तैनात प्रचालकों के नाम और मोबाइल संख्या प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। इन प्रचालकों को लिफ्ट या एस्केलेटर प्रचालित करने या उनमें फंसने सहित किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विधिवत रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। यदि किसी प्रचालक को परिवर्तित किया जाता है तो नये व्यक्ति को प्रचालक के रूप में अपनी ड्यूटी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व प्रशिक्षित किया जायेगा।
	(4)	क्लस्टर के रूप में निकटता में संस्थापित सभी लिफ्टों के लिए, प्रचालन के दौरान किसी भी समय कम से कम एक प्रचालक होना चाहिए, और, सार्वजनिक परिसर में सभी एस्केलेटर के लिए कम से कम एक प्रचालक होना चाहिए।
	(5)	स्वामी लिफ्ट या एस्केलेटर के प्रचालनात्मक भार के आधार पर रात के समय (रात 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक) प्रचालकों की संख्या कम कर सकता है।
	(6)	प्रचालक को इस नियमावली के अनुलग्नक-4 के लॉगबुक के भाग-क में अपने ड्यूटी घंटों के दौरान प्रचालन में आने वाले किसी भी मुद्दे या किसी अन्य समस्या को लिखित रूप में कम करना होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		स्वामी को बिना किसी विलम्ब के उन पर ध्यान देना होगा और उनका समाधान करना होगा।
विनिर्माता, कमीशनिंग और संस्थापना अभिकरणों का रजिस्ट्रीकरण	7.(1)	सभी विनिर्माताओं, कमीशनिंग और संस्थापन अभिकरणों को निदेशक, विद्युत सुरक्षा के साथ रजिस्ट्रीकरण कराना होगा।
	(2)	विनिर्माताओं को इस नियमावली के अनुलग्नक-5 में उल्लिखित विहित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। उन्हें 25,000 रुपये शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। यह रजिस्ट्रीकरण पांच वर्षों के लिए विधिमान्य होगा और उसके पश्चात् नवीकृत किया जाएगा। प्रत्येक नवीकरण के लिए समान शुल्क संदत्त किया जाएगा।
	(3)	विनिर्माताओं के लिए वांछित अर्हताएं निम्नानुसार होंगी: क. विनिर्माता, पूर्ति, संस्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) के लिए उत्तरदायी होगा; ख. विनिर्माता के पास पूर्ति, संस्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम, अर्ह और प्रशिक्षित तकनीकी टीम होनी चाहिए; ग. विनिर्माता को अपने ब्रांड नाम से उपस्कर का विक्रय करना होगा। घ. विनिर्माता को उसके द्वारा पूर्ति, संस्थापित और कमीशन किए गए उपस्कर के प्रचालन के लिए किसी सांकेतिक उपयोगी जीवन को उपदर्शित करना चाहिए और यह अन्यून 20 वर्ष होना चाहिए; ड. लिफ्ट या एस्केलेटर के उपयोगी जीवन तक ओईएम द्वारा स्वामी को या तो स्वयं या अपने प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से एक व्यापक एएमसी अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए और लिफ्ट या एस्केलेटर के उपयोगी जीवन के दौरान कलपुर्जों की निर्बाध पूर्ति होनी चाहिए; च. क्रेता/उपभोक्ता को विनिर्माता द्वारा लिखित रूप में सुझाव दिया जाना चाहिए कि जब विनिर्माता द्वारा उपदर्शित उपस्कर की कार्य करने की अवधि (लाइफ) बीत जाये तब क्या करना है; छ. सांकेतिक कार्य करने की अवधि (लाइफ) की समयावधि या कमीशनिंग के 15 वर्ष, जो भी पहले हो, की समाप्ति पर विनिर्माता द्वारा स्थल का दौरा करना होगा और लिफ्ट या एस्केलेटर में

http://shasanadesh.up.gov.in

		सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए क्रेता/उपभोक्ता को लिखित रूप में सुझावों की एक रिपोर्ट देना होगा; ज. उपस्कर के भीतर "क्या करें और क्या न करें" और आपातकालीन संपर्क नंबर या किसी टोल-फ्री नंबर का विवरण विनिर्माता की कमीशनिंग टीम द्वारा रखा जाना चाहिए ताकि यह प्रयोक्ता या किसी भी प्रचालक की पहुंच के भीतर हो; झ. स्वामी और उसके प्रचालन कर्मचारिवृन्द को आपातकाल के दौरान बचाव कार्यों के बारे में विनिर्माता की कमीशनिंग टीम द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
वार्षिक अनुरक्षण संविदा (ए0एम0सी0) में अन्तर्ग्रस्त अभिकरण का रजिस्ट्रीकरण	8(1)	वार्षिक अनुरक्षण संविदा अन्तर्ग्रस्त समस्त अभिकरण (एएमसी) के लिए शामिल सभी एजेंसियों को निदेशक, विद्युत सुरक्षा के पास रजिस्ट्रीकरण कराना होगा।
	(2)	वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) अन्तर्ग्रस्त अभिकरण इस नियमावली के अनुलग्नक-6 में यथा उल्लिखित विहित प्रपत्र पर आवेदन करेगी। उन्हें 25,000 रुपये शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य होगा। प्रत्येक नवीकरण के लिए समान शुल्क संदत्त किया जाएगा।
	(3)	वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) के लिए अन्तर्ग्रस्त अभिकरण हेतु वांछित अर्हताएं निम्नवत होंगी: क. अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, भवन जिसमें लिफ्ट या एस्केलेटर संस्थापित किया गया है, लिफ्ट और एस्केलेटर, कोई अन्य विद्युत या यांत्रिक सांधित्र तथा संस्थापन के सम्बन्ध में सुसंगत संहिता और किसी अन्य सुसंगत संहिता का पालन उत्तरदायित्व वाले अभिकरण द्वारा किया जायेगा। ख. यह व्यापक/अर्ध-व्यापक/गैर-व्यापक एएमसी की प्रस्थापना करेगा और यह उपभोक्ता को इन योजनाओं में सम्मिलित सेवाओं के प्रकार के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा देगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		ग. वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम, अर्हित और प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति बनाए रखी जानी चाहिए। इसमें फिटर या इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई प्रशिक्षित तकनीशियन, इलेक्ट्रिकल या यांत्रिक (मैकेनिकल) या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी(टेक्नोलॉजी) में डिप्लोमा धारक और अभियन्ता (इंजीनियर), टीम लीडर, ग्रुप लीडर आदि सम्मिलित होंगे। नई भर्ती की प्रशिक्षण अवधि न्यूनतम छ: माह होगी। घ. क्षेत्र और उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर यथेष्ट संख्या में तकनीकी टीमें होंगी जिससे किसी भी शिकायत को निपटाने के लिए उसे न्यूनतम प्रतिक्रिया समय देना होगा। ड. सर्विस स्टेशन के 50 किमी की परिधि के भीतर प्रतिक्रिया समय 4 घंटे से अधिक नहीं होगा और 50 से 100 किमी के दायरे के मामलों के लिए 12 घंटे और 100 किमी से अधिक के मामलों के लिए 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। किसी भी आपातकालीन स्थिति में, टीम को नैत्यिक कार्य छोड़कर यथाशीघ्र आपातकालीन स्थल पर पहुँचना होगा। च. वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) को छोटी मरम्मत को 48 घंटों के भीतर और बड़ी मरम्मत को 15 दिनों के भीतर सुधार करने के लिए पर्याप्त सूची बनाए रखना चाहिए; छ. अभिकरण को एक माह के भीतर मशीन स्थल पर कम से कम एक निवारक भ्रमण सुनिश्चित करना होगा। यदि आवश्यकता हुयी तो यह और भी अधिक हो सकता है। स्थल पर भ्रमण करने वाली टीम का वरिष्ठतम सदस्य अपने निष्कर्ष /संप्रेक्षण/सुझाव, यदि कोई हो, को स्थल पर रखी लॉगबुक में अभिलिखित करेगा। ज. स्थल भ्रमण करने वाली टीम यह सुनिश्चित करेगी कि समस्त बचाव युक्ति अविकल हैं और कार्य करने की स्थिति में हैं और यदि यह पाया जाता है कि वे कार्य नहीं कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे न्यूनतम समय के भीतर कार्यात्मक हो गए हैं; और यदि स्वामी ऐसे मामलों में सहयोग नहीं करता है, तो मामले को विलम्ब किये बगैर अधिकारिता वाले स्थानीय जिला

http://shasanadesh.up.gov.in

		मजिस्ट्रेट और स्थानीय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा को रिपोर्ट किया जाएगा; झ. जहां तक सुरक्षा सुविधाओं का संबंध है जब भी प्रौद्योगिकी में कोई उन्नयन होता है, तो स्वामी को वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) के लिए उत्तरदायी अभिकरण द्वारा इसके बारे में लिखित रूप में सलाह दिया जायेगा।
दुर्घटना लॉगबुक	9. इस नियमावली के अनुलग्नक-7 में यथा उल्लिखित आकस्मिक इतिहास की एक पृथक लॉगबुक रखी जाएगी और सार्वजनिक परिसर में संस्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर के निकट प्रदर्शित की जाएगी और जब अधिकारिता वाले स्थानीय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा या अधिकारिता वाले किसी अन्य विद्युत निरीक्षक या स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय उपडिवीजनल मजिस्ट्रेट या स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत किया जायेगा।	
विलम्ब शुल्क	10. अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी समय-सीमा का उल्लंघन करने पर स्वामी से निम्नलिखित तरीके से विलंब शुल्क प्रभारित किया जाएगा: -	
	(क)	यदि विलंब 07 दिन या उससे कम है, तो 100 रुपये प्रति दिन का विलंब शुल्क प्रभारित किया जाएगा;
	(ख)	यदि विलंब 07 दिन से अधिक और 15 दिन तक होता है, तो संपूर्ण अवधि के लिए 200 रुपये प्रति दिन का विलंब शुल्क प्रभारित किया जाएगा।
	(ग)	यदि विलम्ब 15 दिन से अधिक और 30 दिन तक है, तो सम्पूर्ण अवधि के लिए 500 रुपये प्रति दिन का विलंब शुल्क प्रभारित किया जाएगा;
	(घ)	यदि विलम्ब 30 दिन से अधिक है तो लिफ्ट या एस्केलेटर का संचालन तत्काल बंद कर दिया जाएगा और 10,000 रुपये के विलंब शुल्क के साथ उपबन्ध के अनुपालन के पश्चात ही इसे पुन: शुरू किया जा सकता है।

आज्ञा से,
नरेन्द्र भूषण
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुलग्नक -1

(नियम-3 देखें)

नई लिफ्ट या एस्केलेटर संस्थापित करने/संस्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए आवेदन

(स्थानीय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा को प्रस्तुत किया जाना है)

1	स्वामी का विवरण		
	क	नाम	
	ख	स्थानीय पता	
	ग	स्थायी पता	
	घ	मोबाइल नम्बर	
	ड	मेल आईडी	
2	स्वामी के प्राधिकृत अभिकर्ता का विवरण		
	क	नाम	
	ख	स्थानीय पता	
	ग	स्थायी पता	
	घ	मोबाइल नम्बर	
	ड	मेल आईडी	
3	यदि वह नई लिफ्ट या एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन हो।		
4	उस परिसर का पता जहां लिफ्ट या एस्केलेटर कमीशन किया जाना है		
5	चाहे वह 'निजी परिसर' हो या 'सार्वजनिक परिसर'		
7	चाहे वह लिफ्ट या एस्केलेटर को संशोधित या परिवर्तित करने का मामला हो		
	क	विद्यमान लिफ्ट या एस्केलेटर का रजिस्ट्रीकरण संख्या	
	ख	उस परिसर का पता जहां इसे चालू किया गया है	
8	यदि लिफ्ट या एस्केलेटर को स्थानांतरित किया जा रहा है		
	क	विद्यमान लिफ्ट या एस्केलेटर की रजिस्ट्रीकरण संख्या	
	ख	उस परिसर का पता जहां इसे पहले कमीशन किया गया था	
	ग	नए परिसर का पता जहां इसे चालू किया जाना है	
9	क्या भवन का मानचित्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है		
10	यदि हां, तो अनुमोदन प्राधिकारी का नाम, अनुमोदन संख्या और दिनांक		

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11	लिफ्ट या एस्केलेटर का प्रकार और बनावट		
12	लिफ्ट या एस्केलेटर के विविनिर्माता का विवरण		
	क	नाम	
	ख	पता	
	ग	विनिर्माता की रजिस्ट्रीकरण संख्या	
	घ	विविनिर्माता के स्थानीय अधिकृत प्रतिनिधि का नाम, संपर्क विवरण और पता	
13	कमीशनिंग/संशोधन/परिवर्तन/स्थानांतरण अभिकरण का विवरण		
	क	नाम	
	ख	पता	
	ग	कमीशनिंग/उपांतरण/परिवर्तन/ स्थानांतरण करने वाले अभिकरण की रजिस्ट्रीकरण संख्या	
	घ	कमीशनिंग/उपांतरण/परिवर्तन/ स्थानांतरण करने वाले अभिकरण के स्थानीय प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम, संपर्क विवरण और पता	
14	कमीशनिंग प्रारंभ होने की प्रस्तावित दिनांक		
15	कमीशनिंग के पूरा होने की प्रस्तावित दिनांक		
16	अनुलग्नकों का विवरण		
	क	अनुमोदित भवन योजना	
	ख	लिफ्ट या एस्केलेटर का विवरण खींचना	
	ग	विविनिर्माता का शपथ पत्र कि लिफ्ट या एस्केलेटर बीआईएस के अनुरूप है और राष्ट्रीय और/या राज्य भवन संहिता के मानदंडों के अनुसार है।	
	घ	विविनिर्माता द्वारा उपलब्ध कराए गए लिफ्ट या एस्केलेटर का तकनीकी विवरण	
	ड	विविनिर्माता द्वारा प्रदान की गई लिफ्ट या एस्केलेटर की सुरक्षा सुविधाएँ	
	च	तीनों अधोहस्ताक्षरियों द्वारा नोटरीकृत शपथ पत्र पर अलग-अलग घोषणाएं कि उनके संबंध में उपरोक्त दी गई जानकारी उनकी जानकारी के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।	

विविनिर्माता के प्राधिकृत प्रतिनिधि का दिनांक सहित हस्ताक्षर	कमिशनिंग/उपांतरण/परिवर्तन/स्थानान्तरण करने वाले अभिकरण के प्राधिकृत प्रतिनिधि का दिनांक सहित हस्ताक्षर	स्वामी/ उसके प्राधिकृत अभिकर्ता का दिनांक सहित हस्ताक्षर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुलग्नक-2

(नियम 4 (1) देखें)

लिफ्ट संस्थापित करने या संस्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए कमीशनिंग सूचना रिपोर्ट को पूरा करना

(स्थानीय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा को प्रस्तुत किया जाना है)

1	रजिस्ट्रीकरण संख्या		
2	लिफ्ट या एस्केलेटर के कमीशनिंग की वास्तविक दिनांक		
3	अनुलग्नकों का विवरण		
	(क)	इस आशय का नोटरीकृत शपथ पत्र पर एक स्व-घोषणा एक. कमीशन की गई लिफ्ट या एस्केलेटर उसी निर्माण और विविनिर्माता का है जैसा रजिस्ट्रीकरण के समय घोषित किया गया था, दो. लिफ्ट या एस्केलेटर को चालू करने का स्थान वही है जो रजिस्ट्रीकरण के समय घोषित किया गया था, तीन. कमीशनिंग/अभिकरण वही है जो रजिस्ट्रीकरण के समय घोषित की गई थी।	
	(ख)	यदि लिफ्ट या एस्केलेटर के निर्माण और विविनिर्माता और/या कमीशनिंग के स्थान और/या कमीशनिंग अभिकरण में कोई परिवर्तन होता है, तो स्वामी को अनुलग्नक-1 में दिए गए प्रारूप में घोषित विवरण अद्यतन करना होगा।	
	(ग)	नोटरीकृत हलफनामे पर इस आशय की स्व-घोषणा कि वह लिफ्ट या एस्केलेटर के दैनिक संचालन के दौरान अधिनियम और नियमों के समस्त उपबन्धों का अनुपालन करेगा और आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों के साथ सहयोग करेगा।	
	(घ)	नोटरीकृत हलफनामे पर विविनिर्माता का शपथ पत्र कि चालू किया गया लिफ्ट या एस्केलेटर बीआईएस के अनुरूप है और उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम, 2024 के उपबन्धों के विशेष रूप से अधिनियम और नियमावली में	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		यथा प्रगणित समस्त सुरक्षा सुविधाओं के अनुरूप है।	
	(ड)	नोटरीकृत हलफनामे पर कमीशनिंग अभिकरण का शपथ पत्र कि लिफ्ट या एस्केलेटर को विविनिर्माता मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार और प्रचलित राष्ट्रीय और/या राज्य भवन संहिता के अनुपालन में ठीक से चालू किया गया है और अधिनियम और नियमों में यथा प्रगणित समस्त सुरक्षा सुविधाओं का लिफ्ट या एस्केलेटर में निर्माण किया गया है।	
	(च)	नियमावली में यथावांछित शुल्क भुगतान का विवरण।	
	(छ)	नोटरीकृत शपथ पत्र पर अलग-अलग घोषणाएँ तीनों अधोहस्ताक्षरियों द्वारा कि उनके संबंध में उपरोक्त दी गई जानकारी उनकी जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।	
4	लिफ्ट या एस्केलेटर के प्रचालन का सांकेतिक उपयोगी जीवन		
5	क्या लिफ्ट या एस्केलेटर के स्वामी/ऑपरेटर को मशीन, विशेष रूप से इसके बचाव प्रणालियों को प्रचालित करने के लिए विविनिर्माता/ कमीशनिंग/संशोधित/परिवर्तन/शिफ्टिंग अभिकरण द्वारा सम्यक रूप से प्रशिक्षित किया गया है।		

विविनिर्माता के प्राधिकृत प्रतिनिधि का दिनांक सहित हस्ताक्षर	कमिशनिंग/उपांतरण/परिवर्तन/स्थानान्तरण करने वाले अभिकरण के प्राधिकृत प्रतिनिधि का दिनांक सहित हस्ताक्षर	स्वामी/ उसके प्राधिकृत अभिकर्ता का दिनांक सहित हस्ताक्षर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुलग्नक-3

{नियम 6(1) देखें}

सार्वजनिक परिसरों में संस्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर के लिए एएमसी विवरण

(स्थानीय सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा को प्रस्तुत किया जाना है)

1	रजिस्ट्रीकरण संख्या		
2	लिफ्ट या एस्केलेटर के कमीशन होने का दिनांक		
3	वह दिनांक जिस पर लिफ्ट या एस्केलेटर प्रचालन में आया		
4	यदि यह एक नई लिफ्ट या एस्केलेटर है, तो वह दिनांक जब तक विविनिर्माता या कमीशनिंग /उपांतरण/परिवर्तन/शिफ्टिंग अभिकरण द्वारा मुफ्त रखरखाव सेवा उपलब्ध होगी		
5	एएमसी के लिए जिम्मेदार अभिकरण का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या		
6	क्या एएमसी के लिए जिम्मेदार अभिकरण ओईएम की प्राधिकृत विक्रेता है		
7	एएमसी के प्रारंभ होने का दिनांक		
8	वह दिनांक जिस पर एएमसी समाप्त हो रही है		
9	एएमसी का प्रकार		
	(क)	व्यापक	
	(ख)	अर्ध व्यापक	
	(ग)	गैर व्यापक	
10	एएमसी की एक प्रति साझा की जाएगी		
11	दोनों अधोहस्ताक्षरियों द्वारा नोटरीकृत शपथ पत्र पर अलग-अलग घोषणाएं कि उनके संबंध में उपरोक्त दी गई सूचना उनकी जानकारी के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।		

एएमसी हेतु अभिकरण के प्राधिकृत अभिकर्ता का
दिनांक सहित हस्ताक्षर

स्वामी/ उसके प्राधिकृत अभिकर्ता का
दिनांक सहित हस्ताक्षर

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक-4

{नियम 6(2) और 6(6) देखें}

सार्वजनिक परिसरों में संस्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर के रखरखाव के लिए लॉगबुक विवरण

(संस्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर के पास रखा जाए)

भाग-ए लॉगबुक के पेज-1 पर मुद्रित किया जाना है

1	रजिस्ट्रीकरण संख्या		
2	लिफ्ट या एस्केलेटर के चालू होने का दिनांक		
3	वह दिनांक जिस दिन लिफ्ट या एस्केलेटर प्रचालन में आया		
4	यदि यह एक नई लिफ्ट या एस्केलेटर है, तो वह दिनांक जब तक विनिर्माता या कमीशनिंग/ संशोधित/ परिवर्तन/शिफ्टिंग अभिकरण द्वारा मुफ्त रखरखाव सेवा उपलब्ध होगी		
5	एएमसी के लिए जिम्मेदार अभिकरण का नाम, पता और रजिस्ट्रीरकरण संख्या		
6	क्या एएमसी के लिए जिम्मेदार अभिकरण ओईएम की प्राधिकृत विक्रेता है		
7	एएमसी के प्रारंभ होने की दिनांक		
8	वह दिनांक जिस दिन एएमसी समाप्त हो रही है		
9	एएमसी का प्रकार		
	(क)	व्यापक	
	(ख)	अर्ध व्यापक	
	(ग)	गैर व्यापक	

भाग-ख पश्चात्वर्ती पृष्ठों पर मुद्रित किया जाएगा

क्रम संख्या	एएमसी टीम के दौरे की दिनांक और समय	टीम लीडर का नाम	कार्यों में एएमसी टीम ने भाग लिया	लिफ्ट या एस्केलेटर के सुचारू प्राचालन के लिए सुधारात्मक उपाय के लिए स्वामी के लिए कोई सुझाव	वह दिनांक जिस पर सुझाव का अनुपालन किया गया है	वह दिनांक जब एएमसी टीम का अगला दौरा होने वाला है	एएमसी टीम के टीम लीडर के हस्ताक्षर

भाग-ग को पश्चात्वर्ती पृष्ठों के अलग-अलग सेट पर मुद्रित किया जाना है

क्रम संख्या	प्रचालक का नाम	अपने ड्यूटी समय के दौरान प्रचालन में उनके सामने आने वाली समस्याएं	प्रचालन की प्रविष्टि का दिनांक और समय	क्या समस्या पर ध्यान दिया गया या समाधान किया गया? यदि हाँ, तो दिनांक एवं समय?	एएमसी टीम के टीम लीडर के हस्ताक्षर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुलग्नक- 5

{नियम 7(2) देखें}

लिफ्ट या एस्केलेटर के विनिर्माण के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र

(निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत किया जाना है)

1	विनिर्माता का विवरण (ओईएम)		
	क	नाम	
	ख	विधिक प्रास्थिति (चाहे कंपनी हो या साझेदारी फर्म या कुछ और) और इसके निगमन विवरण जैसे सक्षम प्राधिकारी के साथ रजिस्ट्रीकरण संख्या और उसका दिनांक	
	ग	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता	
	घ	भारत में उत्पादन केन्द्रों का पता	
	ड.	संपर्क व्यक्ति का नाम और पदनाम	
	च	संपर्क व्यक्ति का मोबाइल नंबर	
	छ	संपर्क व्यक्ति की मेल-आईडी	
	ज	जीएसटी नंबर	
	झ	पैन	
	ट	उत्पाद रेंज (कृपया विस्तृत सूची प्रदान करें)	
2	उत्तर प्रदेश में ओईएम के समस्त स्थानीय विक्रेताओं का विवरण		
	क	नाम	
	ख	विधिक प्रास्थिति (चाहे कंपनी हो या साझेदारी फर्म या कुछ और) और इसके निगमन विवरण जैसे सक्षम प्राधिकारी के साथ रजिस्ट्रीकरण संख्या और उसका दिनांक	
	ग	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता	
	घ	स्थानीय कार्यालय का पता	
	ड.	संपर्क व्यक्ति का नाम और पदनाम	
	च	संपर्क व्यक्ति का मोबाइल नंबर	
	छ	संपर्क व्यक्ति की मेल-आईडी	
	झ	जीएसटी नंबर	
	ट	पैन	
3	ओईएम की ओर से इस आवेदन को करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का विवरण		
	क	नाम	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	ख	पता	
	ग	नाम एवं पदनाम	
	घ	मोबाइल नंबर	
	ड.	मेल-आईडी	
4	क	चाहे वह पहली बार रजिस्ट्रीकरण हो	
	ख	यदि हाँ, तो शुल्क भुगतान का विवरण	
5	क	चाहे वह रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण हो	
	ख	रजिस्ट्रीकरण संख्या	
	ग	वह तिथि जब तक अंतिम रजिस्ट्रीकरण वैध है	
	घ	क्या पिछला रजिस्ट्रीकरण समाप्त होने से पहले नवीकरण के लिए आवेदन किया गया है	
	ड.	शुल्क भुगतान का विवरण	
6	अधोहस्ताक्षरी द्वारा नोटरीकृत शपथ पत्र पर एक घोषणा कि ऊपर दी गई जानकारी उसकी जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।		

ओईएम के प्राधिकृत व्यक्ति का
दिनांक सहित हस्ताक्षर

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक - 6

{नियम 8(2) देखें}

लिफ्ट या एस्केलेटर की एएमसी के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के रजिस्ट्रीरकरण के लिए आवेदन पत्र

(निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत किया जाना है)

1	एएमसी के लिए जिम्मेदार अभिकरण का विवरण		
	क	नाम	
	ख	कानूनी स्थिति (चाहे कंपनी हो या साझेदारी फर्म या कुछ और) और इसके निगमन विवरण जैसे सक्षम प्राधिकारी के साथ रजिस्ट्रीरकरण संख्या और उसकी दिनांक	
	ग	पंजीकृत कार्यालय पता	
		निकटतम परिचालन पता	
	घ	संपर्क व्यक्ति का नाम और पदनाम	
	ड.	संपर्क व्यक्ति का वैकल्पिक नाम और पदनाम	
	च	संपर्क व्यक्ति का मोबाइल नंबर	
	छ	वैकल्पिक संपर्क व्यक्ति का मोबाइल नंबर	
	ज	यदि कोई हो तो टोल-फ्री नंबर	
	झ	मेल-आईडी	
	ट	जीएसटी नंबर	
	ठ	पैन	
2	एएमसी के लिए जिम्मेदार अभिकरण की ओर से यह आवेदन करने वाले अधिकृत व्यक्ति का विवरण		
	क	नाम	
	ख	पता	
	ग	नाम एवं पदनाम	
	घ	मोबाइल नं0	
	ड.	मेल-आईडी	
3	क	चाहे वह पहली बार रजिस्ट्रीरकरण हो	
	ख	यदि हाँ, तो शुल्क भुगतान का विवरण	
4	क	चाहे वह रजिस्ट्रीरकरण का नवीनीकरण हो	
	ख	रजिस्ट्रीरकरण संख्या	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	ग	वह तिथि जब तक अंतिम रजिस्ट्रीरकरण वैध है	
	घ	क्या पिछला रजिस्ट्रीरकरण समाप्त होने से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया है	
	ड.	शुल्क भुगतान का विवरण	
6	अधोहस्ताक्षरी द्वारा नोटरीकृत शपथ पत्र पर एक घोषणा कि ऊपर दी गई जानकारी उसकी जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।		

एएमसी हेतु अभिकरण के प्राधिकृत अभिकर्ता का
दिनांक सहित हस्ताक्षर

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक - 7

(नियम 9 देखें)

सार्वजनिक परिसरों में स्थापित लिफ्ट या एस्केलेटर की दुर्घटनाओं के लिए लॉगबुक विवरण

(लिफ्ट या एस्केलेटर के पास रखा जाए)

लॉगबुक के पेज-1 पर मुद्रित किया जाना है

1	रजिस्ट्रीरकरण संख्या		
2	लिफ्ट या एस्केलेटर के चालू होने की दिनांक		
3	वह दिनांक जिस दिन लिफ्ट या एस्केलेटर परिचालन में आया		
4	यदि यह एक नई लिफ्ट या एस्केलेटर है, तो वह दिनांक जब तक विनिर्माता या कमीशनिंग/संशोधित/परिवर्तन/ शिफ्टिंग अभिकरण द्वारा मुफ्त रखरखाव सेवा उपलब्ध होगी		
5	एएमसी के लिए जिम्मेदार अभिकरण का नाम, पता और रजिस्ट्रीरकरण संख्या		
6	क्या एएमसी के लिए जिम्मेदार अभिकरण ओईएम की अधिकृत विक्रेता है		
7	एएमसी के प्रारंभ होने की तिथि		
8	वह दिनांक जिस दिन एएमसी समाप्त हो रही है		
9	एएमसी का प्रकार		
	क	विस्तृत	
	ख	अर्ध-व्यापक	
	ग	गैर व्यापक	

आगामी पृष्ठों पर मुद्रित किया जायेगा

क्रमांक	दुर्घटना की दिनांक और समय	दुर्घटना का विवरण	मानव या पशु जीवन की हानि या चोट का विवरण	क्या धारा-12(1) के तहत सक्षम प्राधिकारी को स्वामी या स्वामी द्वारा विधिवत अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सूचित किया गया है। यदि हां, तो किसे और कब?	दिनांक और समय जब किसी राज्य प्राधिकारी ने सबसे पहले दुर्घटना स्थल का दौरा किया। विजिटिंग अथॉरिटी का नाम और पदनाम?	दुर्घटना की जांच के बाद जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की दिनांक और मुआवजे के संबंध में आदेश का विवरण	क्या स्वामी द्वारा उचित मुआवजा वितरित किया गया है	स्वामी या स्वामी द्वारा विधिवत अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan

Urja Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication the following English translation of Notification no. 10/2024/590/24-P-3-2024 dated 18 July, 2024 :

Notification

No. 10/2024/590/24-P-3-2024-113 Vivdh/2018

Lucknow ; Dated: 18 July, 2024

In exercise of the powers under section 19 of the Uttar Pradesh Lifts and Escalators Act, 2024, the Governor is pleased to make the following rules with a view to provide for the registration and regulation of the construction, installation, maintenance and safe working of lifts and escalators and all machinery and apparatus pertaining thereto in the State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith and incidental thereto:

THE UTTAR PRADESH LIFTS AND ESCALATORS RULES, 2024

Short title and commencement	1(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Lifts and Escalators Rules, 2024. (2) They shall come into the force at once.		
Definitions	2(1) In these rules , unless the context otherwise requires,—		
	(a)	" Act " means the Uttar Pradesh Lifts and Escalators Act, 2024;	
	(b)	" Annexure " means an Annexure appended to these rules;	
	(c)	" OEM " means the Original Equipment Manufacturer ;	
	(d)	" Inspector " means Electrical Inspector nominated by the Government of Uttar Pradesh.	
	(2)	Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Registration by owner to erect lift or escalator	3 (1)	Every owner of a place intending to install a lift or an escalator in any premise shall make an application in the form as mentioned in Annexure-1 to these rules giving full details or information as specified .
	(2)	This application shall be submitted to the local Assistant Director, Electrical Safety having jurisdiction.
Intimation on completion of commissioning and before use of lift or escalator	4 (1)	The owner, who has registered to install a lift or escalator under section 3 of the Act, shall submit the report of completion of commissioning, before use of lift or escalator, in a form as mentioned in Annexure-2 to these rules.
	(2)	This completion of commissioning intimation report will be accompanied by an installation completion report from the installation agency as given in section 11 of the Act. The installation agency shall give an undertaking that all safety features as enumerated in the Act and rules have been built in the lift or escalator.
	(3)	The owner or his authorized agent shall submit an affidavit to the effect that he shall comply with all provisions of the Act and rules during day-to-day operation of lift or escalator and cooperate with the authorities as and when required.
	(4)	A fee of Rs 5,000 for each lift or escalator shall be deposited along with the completion of commissioning intimation report.
	(5)	This report shall be submitted to the local Assistant Director, Electrical Safety having jurisdiction.
Disabled friendly lifts	5. There shall compulsorily be at least one lift in any public premise which shall be disabled friendly and it shall be compliant of all codes and directives in this regard.	
Maintenance of lift or escalator in public premises	6(1)	The owner shall compulsorily take comprehensive AMC from the OEM or his authorized service provider. He shall submit every year a copy of the AMC for his lift or escalator or any other arrangement made for the maintenance of lifts and escalators commissioned in public premise to the local Assistant Director, Electrical Safety having jurisdiction on a prescribed form as mentioned in Annexure-3 to these rules.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(2)	A logbook of periodic maintenance shall be maintained on a prescribed form as mentioned in Annexure-4 to these rules and it shall be displayed near lift or escalator installed in public premise and the same shall be produced when asked by the local Assistant Director, Electrical Safety having jurisdiction or any other Electrical Inspector having jurisdiction or local District Magistrate or local Sub - Divisional Magistrate or any Executive Magistrate authorized by local District Magistrate.
	(3)	The owner shall appoint operators to operate the lift or escalator in public premises mandatorily. The name and mobile number of the operators on duty shall be displayed prominently. These operators shall be duly trained to operate the lift or escalator or attend to any emergencies including entrapment. In case any operator is changed, the new person shall be trained before he joins his duty as operator.
	(4)	There shall be at least one operator at any point of time during operation for all the lifts installed in proximity as a cluster, and, there shall be at least one operator for all the escalators in a public premise.
	(5)	The owner may reduce the number of operators during night hours (from 10 pm to 6 am next day) depending on the operational load of the lifts or escalators.
	(6)	The operator shall reduce in writing in Part-C of the logbook as in Annexure-4 to these rules, any issues or any other problems he faced in operation during his duty hours. The owner shall get them attended to and resolved without any delay.
Registration of manufacturer, commissioning and installing agencies	7(1)	All manufacturers, commissioning and installing agencies shall get them registered with Director, Electrical Safety.
	(2)	The manufacturers shall apply on a prescribed form as mentioned in Annexure-5 to these rules. They shall apply along with a fee of Rs 25,000. This registration will be valid for a period of five years and shall be renewed thereafter. Similar fee shall be paid for each renewal.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(3)	The desired qualifications for manufacturers shall be as follows: a. the manufacturer shall be responsible for supply, installation, testing and commissioning (SITC); b. the manufacturer must have adequate number of competent, qualified and trained technical team for supply, installation, testing and commissioning (SITC); c. the manufacturer must sell the equipment in his own brand name ; d. the manufacturer must have indicated a suggestive useful life of operation of the equipment he has supplied, installed and commissioned and it shall not be less than 20 years; e. a comprehensive AMC must be compulsorily provided by OEM to the owner, either itself or through its authorized service provider, till the useful life of the lift or escalator and there must be uninterrupted supply of spare parts during the useful life of the lift or escalator; f. the purchaser/consumer must be given suggestions in writing by manufacturer as to what to do when the equipment has lived its life as indicated by manufacturer; g. there must be a site visit by the manufacturer on expiry of the time period of suggestive life or 15 years of commissioning, whichever is earlier and a report of suggestions must be given in writing to the purchaser/ consumer so as to ensure safe travel in the lift or escalator; h. the details of "Dos and Don'ts" and emergency contact numbers or any toll-free number within the equipment must be placed by Commissioning Team

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		of manufacturer so that it is within the reach of the user or any operator; i. the owner and his operating staff must be trained by the Commissioning Team of manufacturer about the rescue operations during emergency.
Registration of agency involved in AMC	8(1)	All agencies involved for AMC shall get them registered with Director, Electrical Safety.
	(2)	The agencies involved for AMC shall apply on a prescribed form as mentioned in Annexure-6 to these rules . They shall apply along with a fee of Rs 25,000. This registration shall be valid for a period of one year from the date of registration. Similar fee shall be paid for each renewal.
	(3)	The desired qualifications for agencies involved for AMC will be as below: a. Save as otherwise provided in the Act, the relevant code of practice with respect to building in which the lift or escalator has been installed, the lift and escalator itself, any other electrical or mechanical apparatus and installations and any other code of relevance, shall be adhered to by the agency undertaking AMC ; b. it shall offer Comprehensive/Semi-Comprehensive / Non-Comprehensive AMC and it shall brief the consumer about the kind of services included in these plans ; c. there must be maintained an adequate number of competent, qualified and trained technical manpower for AMC. It shall include ITI trained Technician in fitter or electrical trades, Diploma Holders and Engineers in Electrical or Mechanical or Electronics Engineering or Technology, Team Leaders, Group Leaders etc. The training period of the fresh recruits shall be of minimum six months ;

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		d. there shall be enough number of technical teams depending upon the area and number of consumers being catered to such that it shall offer minimum response time to attend to any complaint ; e. the response time within 50 km radius of the service station shall not be beyond 4 hours and it shall not be more than 12 hours for the cases between 50 to 100 km radius and 24 hours for the cases beyond 100 kms. In case of any emergency, the team must reach the site of emergency as soon as possible, leaving routine work behind ; f. AMC must have maintained adequate inventory to ensure to rectify minor repairs within 48 hours and major repairs within 15 days; g. agency must ensure at least one preventive visit to the site of the machine within a month. It may be more if need arises. The senior most member of the team visiting the site shall record his findings /observation/suggestions, if any in the logbook kept at the site. h. the team visiting site shall ensure that all the rescue devices are intact and in working conditions and if it is found that they are not working, it shall be ensured that they have become functional within minimum time; and if the owner does not cooperate in such cases, the matter shall be reported to the local District Magistrate and local Assistant Director, Electrical Safety having jurisdiction without any delay ; i. Whenever there is any upgradation in technology as far as security features are concerned, the owner shall be advised in writing about the same by the agency responsible for AMC.
Accident Logbook	9. A separate logbook of accidental history as mentioned in Annexure-7 to these rules shall be maintained and	

http://shasanadesh.up.gov.in

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">displayed near lift or escalator installed in Public Premise and the same shall be produced when asked by the local Assistant Director, Electrical Safety having jurisdiction or any other Electrical Inspector having jurisdiction or local District Magistrate or local Sub Divisional Magistrate or any Executive Magistrate authorized by local District Magistrate.</td></tr>
<tr><td>Late Fees</td><td colspan="2">10. A late fee, in the following manner, shall be charged to the owner in case he violates any timeline specified under the Act or rules made thereunder:-</td></tr>
<tr><td></td><td>(a)</td><td>if the delay is of 07 days or less, a late fee of Rs 100 per day shall be charged;</td></tr>
<tr><td></td><td>(b)</td><td>if the delay is of more than 07 days and upto15 days, a late fee of Rs 200 per day shall be charged for the entire period;</td></tr>
<tr><td></td><td>(c)</td><td>if the delay is of more than 15 days and upto 30 days, a late fee of Rs 500 per day shall be charged for the entire period;</td></tr>
<tr><td></td><td>(d)</td><td>if the delay is of more than 30 days the operation of lift or escalator shall be stopped immediately and it can be restarted only after the compliance of the provision along with a late fee of Rs 10,000.</td></tr>
</table>

By order,

(Narendra Bhooshan)
Principal Secretary .

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Annexure-1

(see rule 3)

Application to install new lift or escalator/for making additions or alternations to the installed lift or escalator

(To be submitted to the local Assistant Director, Electrical Safety)

1	Details of the owner		
	(a)	Name	
	(b)	Local address	
	(c)	Permanent address	
	(d)	Mobile number	
	(e)	Mail-id	
2	Details of the authorized agent of the owner		
	(a)	Name	
	(b)	Local address	
	(c)	Permanent address	
	(d)	Mobile number	
	(e)	Mail-id	
3	Whether it is registration of a new lift or escalator		
4	The address of the premise where lift or escalator is to be commissioned		
5	Whether it is a 'Private Premise' or 'Public Premise'		
7	Whether it is a case of the lift or escalator being modified or altered		
	(a)	registration number of existing lift or escalator	
	(b)	the address of the premise where it is commissioned	
8	In case the lift or escalator is being shifted		
	(a)	registration number of existing lift or escalator	
	(b)	the address of the premise where it was commissioned earlier	
	(c)	the address of the new premise where it is to be commissioned	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9	Whether building map has been approved by competent authority		
10	If yes, name of approving authority, approval number and date		
11	Type and make of lift or escalator		
12	Details of the manufacturer of the lift or escalator		
	(a)	name	
	(b)	address	
	(c)	registration number of the manufacturer	
	(d)	Name, contact details, and address of local authorized representative of the manufacturer	
13	Details of the commissioning/ modifying/altering/shifting agency		
	(a)	name	
	(b)	address	
	(c)	registration number of the commissioning/modifying/ altering/shifting agency	
	(d)	Name, contact details, and address of local authorized representative of the commissioning/modifying/ altering/shifting agency	
14	Proposed date of commencement of commissioning		
15	Proposed date of completion of the commissioning		
16	Details of annexures		
	(a)	Approved building plan	
	(b)	Drawing details of the lift or escalator	
	(c)	Affidavit of the manufacturer that the lift or escalator is BIS compliant and is as per norms of National and/or State Building Codes	
	(d)	Technical details of the lift or escalator as provided by the manufacturer	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(e)	Safety features of the lift or escalator as provided by the manufacturer	
	(f)	Separate declarations on notarized affidavit by the three undersignees that the information provided with respect to them as above is true to their knowledge and nothing has been concealed.	

Signature of the authorized representative of manufacturer with date	Signature of the authorized representative of commissioning/modifying/ altering/shifting agency with date	Signature of the owner/his authorized agent with date

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Annexure-2

{see rule 4(1)}

Completion of commissioning intimation report to install lift or for making additions or alternations to the installed lift or escalator

(To be submitted to the local Assistant Director, Electrical Safety)

1	Registration Number		
2	The actual date of commissioning of the lift or escalator		
3	Details of annexures		
	(a)	A self-declaration on notarized affidavit to the effect that i. the lift or escalator commissioned is of the same make and manufacturer as declared at the time of registration, ii. the place of commissioning of the lift or escalator is same as declared at the time of registration, iii. the commissioning agency is same as declared at the time of registration.	
	(b)	In case there is any change in the make and manufacturer of the lift or escalator and/or place of commissioning and/or commissioning agency, the owner shall update the details as declared in the format as in Annexure-1	
	(c)	A self-declaration on notarized affidavit to the effect that he shall comply with all provisions of the Act and Rules during day-to-day operation of lift or escalator and cooperate with the authorities as and when required.	
	(d)	Affidavit of the manufacturer on notarized affidavit that the lift or escalator commissioned is BIS compliant and also compliant of the	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		provisions of the UP Lift and Escalators Act, 2024 especially all the safety features as enumerated in the Act and Rules.	
	(e)	Affidavit of the commissioning agency on notarized affidavit that the lift or escalator has been commissioned properly as per manufacturer guidelines and in compliance of prevailing National and/or State Building Codes and that all safety features as enumerated in the Act and Rules have been built in the lift or escalator.	
	(f)	Details of Fee Payment as desired in the Rules.	
	(g)	Separate declarations on notarized affidavit by the three undersignees that the information provided with respect to them as above is true to their knowledge and nothing has been concealed.	
4	Suggestive useful life of the operation of the lift or escalator		
5	Whether the owner/operator of the lift or escalator has been duly trained by the manufacturer/Commissioning/modifying/ altering/shifting agency to operate the machine especially its rescue systems		

Signature of the authorized representative of manufacturer with date	Signature of the authorized representative of commissioning /modifying/altering/shifting agency with date	Signature of the owner/his authorized agent with date

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Annexure-3

{see rule 6(1)}

AMC details for the lift or escalator installed in public premises

(To be submitted to the local Assistant Director, Electrical Safety)

1	Registration Number		
2	The date of commissioning of the lift or escalator		
3	The date on which the lift or escalator came into operation		
4	If it is a new lift or escalator, the date till which free maintenance service by manufacturer or commissioning/modifying/ altering/shifting agency will be available		
5	Name, address and registration number of the agency responsible for AMC		
6	Whether agency responsible for AMC is an authorized vendor of OEM		
7	Date of commencement of the AMC		
8	Date on which AMC expires		
9	Type of AMC		
	(a)	Comprehensive	
	(b)	Semi Comprehensive	
	(c)	Non Comprehensive	
10	A copy of the AMC shall be shared		
11	Separate declarations on notarized affidavit by the two undersignees that the information provided with respect to them as above is true to their knowledge and nothing has been concealed.		

Signature of the authorized agent of the agency responsible for AMC with date

Signature of the owner/his authorized agent with date

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Annexure-4

{see rule 6(2) & 6(6)}

Logbook details for maintenance of the lift or escalator installed in public premises

(To be kept near the lift or escalator installed)

Part-A To be printed on page-1 of the logbook

1	Registration Number		
2	The date of commissioning of the lift or escalator		
3	The date on which the lift or escalator came into operation		
4	If it is a new lift or escalator, the date till which free maintenance service by manufacturer or commissioning/modifying/ altering/shifting agency will be available		
5	Name, address and registration number of the agency responsible for AMC		
6	Whether agency responsible for AMC is an authorized vendor of OEM		
7	Date of commencement of the AMC		
8	Date on which AMC expires		
9	Type of AMC		
	(a)	Comprehensive	
	(b)	Semi Comprehensive	
	(c)	Non Comprehensive	

Part-B To be printed on subsequent pages

Sl No	Date and Time of visit of AMC Team	Name of the Team Leader	Works attended by AMC Team	Any suggestion for the owner for corrective measure for smooth operation of lift or escalator	Date on which the suggestion has been complied with	The date when next visit of AMC Team is due	Signature of the Team Leader of AMC Team

Part-C To be printed on separate set of subsequent pages

Sl No	Name of the operator	Problems faced by him in operation during his duty hours	Date and Time of the entry of the operator	Whether the problem has been attended to or resolved? If yes, date and time?	Signature of the Team Leader of AMC Team

Annexure-5

{see rule 7(2)}

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Application Form for Registration of Manufacture of lift or escalator

(To be submitted to the Director, Electrical Safety, UP)

1	Details of the Manufacturer (OEM)		
	(a)	Name	
	(b)	Legal Status (whether company or partnership firm or anything else) and its incorporation details like registration number with the competent authority and date thereof	
	(c)	Registered office address	
	(d)	Address of Production Centers in India	
	(e)	Name and designation of the contact person	
	(f)	Mobile Number of the contact person	
	(g)	Mail-id of the contact person	
	(h)	GST Number	
	(i)	PAN	
	(j)	Product Range (Please provide the detailed catalogue)	
2	Details of all the local vendors of the OEM in Uttar Pradesh		
	(a)	Name	
	(b)	Legal Status (whether company or partnership firm or anything else) and its incorporation details like registration number with the competent authority and date thereof	
	(c)	Registered office address	
	(d)	Local Office Address	
	(e)	Name and designation of the contact person	
	(f)	Mobile Number of the contact person	
	(g)	Mail-id of the contact person	
	(h)	GST Number	
	(i)	PAN	
3	Details of the authorized person making this application on behalf of the OEM		
	(a)	Name	
	(b)	Address	
	(c)	Name and designation	
	(d)	Mobile Number	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(e)	Mail-id	
4	(a)	Whether it is first time registration	
	(b)	If yes, the details of fee payment	
5	(a)	Whether it is renewal of registration	
	(b)	The Registration Number	
	(c)	The date till which the last registration is valid for	
	(d)	Whether the renewal has been applied before the previous registration expires	
	(e)	The details of fee payment	
6	A Declaration on notarized affidavit by the undersignee that the information provided as above is true to his knowledge and nothing has been concealed.		

Signature of the authorized
person of the OEM with date

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Annexure-6

{see rule 8(2)}

Application Form for Registration of Agencies responsible for AMC of lift or escalator

(To be submitted to the Director, Electrical Safety, UP)

1	Details of the Agency responsible for AMC		
	(a)	Name	
	(b)	Legal Status (whether company or partnership firm or anything else) and its incorporation details like registration number with the competent authority and date thereof	
	(c)	Registered office address	
		Nearest operational address	
	(d)	Name and designation of the contact person	
	(e)	Alternate name and designation of contact person	
	(f)	Mobile Number of the contact person	
	(g)	Mobile Number of the alternate contact person	
	(h)	Toll-free number if any	
	(i)	Mail-id	
	(j)	GST Number	
	(k)	PAN	
2	Details of the authorized person making this application on behalf of the Agency responsible for AMC		
	(a)	Name	
	(b)	Address	
	(c)	Name and designation	
	(d)	Mobile Number	
	(e)	Mail-id	
4	(a)	Whether it is first time registration	
	(b)	If yes, the details of fee payment	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5	(a)	Whether it is renewal of registration	
	(b)	The Registration Number	
	(c)	The date till which the last registration is valid for	
	(d)	Whether the renewal has been applied before the previous registration expires	
	(e)	The details of fee payment	
6	A Declaration on notarized affidavit by the undersignee that the information provided as above is true to his knowledge and nothing has been concealed.		

Signature of the authorized person
of the Agency responsible for
AMC with date

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Annexure-7

(see rule 9)

Logbook details for accidents of the lift or escalator installed in public premises

(To be kept near the lift or escalator installed)

A. To be printed on page-1 of the logbook

1	Registration Number		
2	The date of commissioning of the lift or escalator		
3	The date on which the lift or escalator came into operation		
4	If it is a new lift or escalator, the date till which free maintenance service by manufacturer or commissioning/modifying/ altering/shifting agency will be available		
5	Name, address and registration number of the agency responsible for AMC		
6	Whether agency responsible for AMC is an authorized vendor of OEM		
7	Date of commencement of the AMC		
8	Date on which AMC expires		
9	Type of AMC		
	(a)	Comprehensive	
	(b)	Semi-Comprehensive	
	(c)	Non-Comprehensive	

B. To be printed on subsequent pages

Sl No	Date and Time of accident	Details of the accident	Details of loss of or injury to human or animal life	Whether competent authority as under section-12(1) has been informed by the owner or any other person duly authorized by the owner. If yes, whom and when ?	Date and time on which some state authority visited the accident site first. Name and designation of the visiting authority?	The date of the order of the District Magistrate after the inquiry of the accident and details of the order as regards compensation	Whether due compensation has been disbursed by the owner	Signature of the owner or any other person duly authorized by the owner.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।